न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश बारेठ आर.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकरण संख्या 144/2018

हरबंश सिंह पुत्र भाग सिंह जाति जट सिख जाति जट सिख निवासी चक 23 जैड तह0 व जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

–:: बनाम ::–

1- सोहन सिंह पुत्र बख्शी सिंह जाति जट सिख निवासी चक 28 जैड तह. व जिला श्रीगंगानगर

2- जगजीत सिंह पुत्र डिप्टी सिंह जाति जट सिख निवासी चक 23 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर

3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत।

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री ओमप्रकाश बतरा अधिवक्ता	प्रार्थी
2. श्री मोहनलाल पूनिया	अप्रार्थी संख्या–1
3. श्री सुरेश कुमार अरोडा अधिवक्ता	अप्रार्थी संख्या–2
4. पैरोकार राज	अप्रार्थी संख्या–3

दिनांक :– 03.10. 2019

–:: आदेश ::–

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि उपरोक्त अनवानी वाद अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट का वाद प्रस्तुत किया गया है जिसमें अंकित तथ्यों को इस प्रार्थना पत्र के तथ्यों के रूप में पढा जावे जिससे कि तथ्यों की पुनरावतृत्ति ना हो सके। प्रार्थी के नाम से चक 23 जैड तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 80/85 मु0 न0 31 के किला न0 5,6 सालम सालम, 7/1 में 0.126 हे0, 13/2 में 0.126 हे0, किला न0 14 ता 18 सालम सालम, किला न0 19/1 में 0.126 हे0, किला न0 21 में 0.126 हे0, किला न0 22 ता 25 सालम सालम कुल 3.287 हे0 खातेदारी दर्ज है, जमाबंदी की नकल शामिल है। उपरोक्त मुरब्बा के किला न0 5 से 21 कुतरी खाला है, इस प्रकार किला न0 5 दो भागों में बंटा हुआ है, प्रार्थी करीब 3–4 साल पूर्व बाहर गया हुआ था कि पीछे से अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने प्रार्थी की खातेदारी भूमि मु0 न0 31 के किला न0 5 के उतरी पश्चिमी कुतरी रकबा पर नाजायज कब्जा कर लिया जबकि प्रार्थी ने ना तो अप्रार्थी को किला न0 5 की उपरोक्त जगह को किसी प्रकार से रहन बैय मुंतकिल किया, अतः अप्रार्थीयान बतौर अतिक्रमी काबिज है तथा नाजायज लाभ उठा रहे है, अतः काबिल बेदखली के है। प्रार्थी उपरोक्त जगह जिस पर अप्रार्थीयान ने कब्जा नाजायज किया हुआ है के सम्बंध में लगान का 15 गुणा बतौर मीन प्रोफिट भी पाने का अधिकारी है तथा अप्रार्थीयान को

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

बेदखल कर कब्जा पाने का हकदार है। अप्रार्थीयान के मन में गलत लालच आया हुआ है तथा वह उपरोक्त भूमि को जिस पर नाजायज कब्जा किया हुआ है, आगे किसी को नाजायज कब्जा करवाने मुंतकिल करने के प्रयास में है, रोकने पर टालमटोल करते हुए दिनांक 03.05.18 को ना केवल साफ इंकॉरी है बल्कि ऐलानिया कहा है कि वह किसी असामाजिक तत्व को सस्ते में बेच देगें अथवा भूमि में नमक शोरा आदि डालकर पैदावार शक्ति को नष्ट कर देगें। इस प्रकार प्रार्थी की भूमि नष्ट, वेस्ट, डेमेज व अलियानेट होने का खतरा पैदा हो चुका है, अतः रिसीवर करना न्यायहित में आवश्यक है, वरना अप्रार्थीयान निरंतर नुकसान उठाते रहेगें तथा किसी असामाजिक तत्व को कब्जा देने से भी विवाद पैदा होगें। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि कि चक 23 जैड तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 80/85 मु0 न0 31 के किला न0 5 के उतरी पश्चिमी कुतरी रकबा हिस्सा पर रिसीवर ताफैसला दावा नियुक्त करने का आदेश फरमाया जावें, अगर किसी कारणवंश रिसीवर ना किया जा सकें तो इस भाग को अप्रार्थीयान को रहन बैय मुंतकिल करने से अथवा किसी को आगे कब्जा देने से रोके जाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर शामिल पत्रावली तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 02.08.2018 जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके तथ्यानुसार उक्त प्रार्थना पत्र अलग दर्ज होता है इसलिए वाद पत्र के तथ्य प्रार्थना पत्र के साथ नही पढे जा सकते। प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टाया मामला, प्राईमाफेसाई केस व सुविधा का संतुलन पक्ष तथा अपरिमेय क्षति प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। विवादित कृषि भूमि पर रिसीवर नियुक्त नहीं किया जा सकता। किला नं.5 से 21 कुतरी खाल है और किला नं.5 दो भागों में बंटा हुआ है, बाकि तथ्य इस सम्बन्ध में झूठे अंकित किये गये है, सही तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी सं.1 द्वारा दिनांक 09.07.1979 को चक 23 जैड के मुरब्बा नं.31 जो कि चक हाजा से चिपता हुआ रकबा है, क्योंकि मुरब्बा नं.28 में चक 23 जैड की आबादी है। मुरब्बा न. 31के किला नं. 4 व 5 आबादी से चिपता हआ होने के कारण अप्रार्थी सं.1 द्वारा मुरब्बा नं.31 के किला नं. 4 के 7 बिस्वा व किला नं. 5 के 3 बिस्वा रकबा दिनांक 09.07.1979 को सरदारी लाल मुख्तयारेआम लक्ष्मणदास पुत्र मालराम व श्रीमति कौशल्या पत्नी लक्ष्मणदास, श्रीमति कैलाशों पुत्री लक्ष्मणदास जाति अरोड़ा से जरिये बैयनामा खरीद किया था और खरीद के समय से ही अप्रार्थी सं.1 उक्त कृषि भूमि में मकान बनाकर रिहायश करने लग गये । आज भी अप्रार्थी सं.1 का उक्त रकबा में मकान बना हुआ है तथा अप्रार्थी सं.1 की रिहायश है। अप्रार्थी सं.1 के नाम से उक्त मकान में बिजली का कनैक्शन लगा हुआ है जो आज भी चालू हालत में है, उक्त मकान में अप्रार्थी सं.1 के नाम टेलिफोन कनैक्शन लेण्ड लाईन लगा हुआ था, जो अब बन्द है, उक्त कृषि भूमि की पानी की बारी अप्रार्थी सं.1 के नाम से बंधी हुई है चक हाजा में पंचायती बारी चल रही है इसलिए सिंचाई विभाग द्वारा पर्ची जारी नही की जाती। अप्रार्थी सं.1, किला नं. 4 व 5 की कृषि भूमि में सन 1979 से ही मकान बनाकर रिहायश कर रखी हैं तथा तभी से अप्रार्थी सं.1 का उक्त कृषि भूमि पर कब्जा है। उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी सं.1 द्वारा मकान बनाकर रिहायश करने के लिए ही खरीद की थी तथा कानूनी ज्ञान होने के कारण राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हो सकी। बाद में उक्त रकबा सरदारी लाल व प्रार्थी के पिता द्वारा उक्त रकबा आपस में तबादला किया जो कि मुरब्बा नं.31 के किला नं. 5 की 10 बिस्वा भूमि का ही था, जिसके आधार पर प्रार्थी के पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी कोई मिन्स प्रोफिट

उपखण्ड अधिकारी (राज.)

पाने का अधिकारी नही है और ना ही अप्रार्थी सं.1 को बेदखलकर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी, अप्रार्थी सं.1 से इस वाद के सम्बन्ध में कभी नहीं मिला और ना ही कहा कि वह किसी असमाजिक तत्व को उक्त भूमि को सस्ते में बेंच देगे या नमक डालकर पैदावार शक्ति नष्ट कर देगे, बल्कि प्रार्थी के देखादेखी उक्त कृषि भूमि मुरब्बा नं.31 के किला नं.5 के 3 बिस्वा पर अप्रार्थी सं. 1 का मकान सन 1979से ही बना हुआ है और तभी से अप्रार्थी उस पर काबिज है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

वकील उभ्यपक्ष की बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी द्वारा दोराने बहस जाहिर किया गया कि इसी प्रकरण के समरूप एक अन्य प्रकरण सोहनसिंह बनाम हरबंससिंह मुकदमा नं. 168/2318 अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. का जो कि भूमि समान होने के कारण हस्तगत प्रकरण के साथ दिनांक 02.08.2019 को संलग्न कर दिया गया गया था। हस्तगत प्रकरण एवं संलग्न पत्रावली में आदेश साथ किया जाना है। प्रार्थी हरबंससिंह एवं सोहनसिंह द्वारा प्रस्तुत वाद पत्रों का अवलोकन किया गया। वाद पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। दोनो वाद प्रकरण में भूमि समान है एवं अनुतोष भिन्न–भिन्न है। चूंकि दोनो वाद पत्र पूर्व में क्लब किये जा चुके हैं एवं दोनों वाद पत्रों का भी निस्तारण एक साथ होना है। प्रथम दृश्य मामला सुविधा का संतुलन एवं भूमि के खुर्द बुर्द होने से है। हस्तगत प्रकरण एंव संलग्न प्रकरण धारा 212 आर.टी. एक्ट का है।

न्यायिक दृष्टि से दोनों वाद प्रकरणों के विधिवित न्यायपूर्ण निर्णय हेतु दोनों प्रकरणों में स्थगन जारी किया जाना न्यायोचित है। अतः चक 23 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 80/85 मु.नं. 31 के किला नम्बर 5 के उत्तरी पश्चिमी कुतरी रकबा हिस्सा, तथा प्रार्थी हरबंससिंह ताफैसला वाद अप्रार्थी सोहनसिंह की खरीदशुदा कृषि भूमि चक 23 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 80/85 मु.नं. 31 के किला नम्बर 4, 5 की 10 बिस्वा भूमि जिसमें अप्रार्थी सोहनसिंह मकान बनाकर रिहायश किये हुए है की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति को मूल वाद संख्या 70/2018 अनवान हरबंससिंह बनाम सोहनसिंह आदि के निर्णय तक स्थाई किया जाता है।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता संलग्न मूल वाद मुकदमा संख्या 70/2018 बअनवान हरबंस सिंह बनाम सोहन सिंह रहे।

आदेश आज दिंनाक 03.10.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर (राज.)